प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

लूट की घटना का सफल अनावरण
लूट के जेवरात, रुपये,अवैध शस्त्र व 01अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को लूट के जेवरात, रुपये,अवैध शस्त्र व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.11.2023 को थाना राजापुर में मु0अ0सं0 269/023 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात वादी मुकदमा श्री कल्लू प्रसाद सोनी पुत्र बाबूलाल निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने जेवरात से भरा बैंग जिसमें 50 ग्राम सोना,01 किलोग्राम चाँदी व 60 हजार रुपये नगद रखे गये थे को अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत करवाया गया था। जिसके शीघ्र अनावरण हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे।

उपरोक्त के क्रम में आज दिनाँक 12.02.2024 को अपराध निरीक्षक राजापुर श्री बलवान सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर पयशुनी नदी पुल बहद ग्राम महुवा गांव थाना राजापुर में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी नदीपार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामातलाशी से 2250 रुपये नगद, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा दिनाँक 10.11.023 को कस्बा राजापुर में हुई लूट से सम्बन्धित सोने-चाँदी के जेवरात बरामद हुए। पूंछतांछ में अभियुक्त देवेन्द्र कुमार ने दिनाँक 10.11.023 को धनतेरस के दिन कस्बा राजापुर में हुई लूट में अपने साथ अवधेश श्रीवास पुत्र मुरलीधर श्रीवास निवासी नदीपार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर को भी सम्मलित होना बताया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 269/023 धारा 392 भादवि0 में अभियुक्तगण देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू सोनी तथा अवधेश श्रीवास उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 27/024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद मोटरसाइकिल का कोई कागजात न दिखा पाने के कारण इसे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी का विवरण-

1. 11 अदद पाजेब सफेद धातु,07 अदद बिछुआ सफेद धातु, 01 अदद लॉकेट पीली धातु,01 अदद नथिया पीली धातु,01 अदद नाक की कील पीली धातु(बरामद पीली धातु का वजन 15 ग्राम,सफेद धातु का वजन 355 ग्राम)।
2. लूट के 2250 रुपये।
3. लूट में प्रयुक्त 01अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर के(चे0न0 MBLHA11ATG9E32302)।
4. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्तगण का नाम,पता-

1. अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी नदी पार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर
2. अभियुक्त अवधेश श्रीवास पुत्र मुरलीधर श्रीवास निवासी नदी पार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर**(भागा हुआ)**

अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 189/010 धारा 307 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
2. मु0अ0सं0 190/010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
3. मु0अ0सं0 1665/010 धारा 457,380,411 थाना राठ जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 400/013 धारा 394,411 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
5. मु0अ0सं0 404/013 धारा 395,497 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
6. मु0अ0सं0 195/014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
7. मु0अ0सं0 615/015 धारा 399,402,307 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
8. मु0अ0सं0 618/015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
9. मु0अ0सं0 432/016 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
10. मु0अ0सं0 269/023 धारा 392,411 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
11. मु0अ0सं0 27/024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट ताना राजापुर जनपद चित्रकूट
12. मु0अ0सं0 06/024 धारा 458,394,411थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त अवधेश श्रीवास पुत्र मुरलीधर श्रीवास का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 545/010 धारा 380,411 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
2. मु0अ0सं0 567/010 धारा457, 380,411भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
3. मु0अ0सं0 568/010 धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
4. मु0अ0सं0 572/010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
5. मु0अ0सं0 685/010 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
6. मु0अ0सं0 290/011 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी
7. मु0अ0सं0 401/011 धारा 302,120बी भादवि0 कोतवाली छतरपुर(म0प्र0)
8. मु0अ0सं0 06/024 धारा 498,394,411 भादवि0 थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 269/023 धारा 392,411 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री मनोज कुमार
2. अपराध निरीक्षक श्री बलवान सिंह थाना राजापुर
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
4.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर
5. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
6. आरक्षी अजय वर्मा
7.आरक्षा चालक वीरपाल

(2) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनके हमराही आशीष कुमार सिंह द्वारा मु0अ0सं0 221/20 धारा 307,323,504,506,427 भादवि0 के वांछित अभियुक्त रमेश पटेल उर्फ बौरा पुत्र स्वर्गीय संतोष कुमार पटेल निवासी मोहल्ला जगदीश गंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3) पुलिस अधीक्षक महोदय चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अतुल परिहार द्वारा अभियुक्त जयकरन केवट पुत्र स्व0 गजोधर निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।